

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (छ.ग.)

--: सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन --:

क्रमांक 2057/दो-12-17/2013

बलौदाबाजार, दिनांक 23/07/2026

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	दिनांक 24/07/2026 के प्रातः 10.30 बजे से
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 14/08/2026 के शाम 05.30 बजे तक

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (छ.ग.) के अंतर्गत रिक्त शीघ्रलेखक ग्रेड-3 (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड-03 संवर्ग के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से इस विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

रिक्त पदों का आरक्षण विवरण																		
क्र.	पद का नाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित पद				आरक्षित पद											
							अन्य पिछड़ा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
			मुक्ता	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्ता	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्ता	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक	मुक्ता	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3 (हिन्दी)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3 (अंग्रेजी)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	सहायक ग्रेड-3 संवर्ग (निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक)	15	9	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	18	11	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

नोट :-

- उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है एवं पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है तथा आरक्षित पदों की संख्या में भी परिवर्तन किया जा सकता है। यह विज्ञापन/भर्ती एवं नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के SLP (C) No. 19668/2022 के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- महिला/भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पद पर उस श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाये जाने की दशा में अनारक्षित श्रेणी के मुक्त पदों के वरियता के आधार पर चयन किया जायेगा।
- विज्ञापन में कोई भी Corrigendum जारी करना व चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना इत्यादि भर्ती समिति का अधिकार होगा, जो कि अंतिम व बंधनकारी होगा एवं इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को ही प्राप्त होगा।

—:- भर्ती की पात्रता —:-

क्र०	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक/तकनीकी अपेक्षित अर्हतायें/अनुभव आदि
1.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3 (हिन्दी/अंग्रेजी)	28700-91300 लेवल-7	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा (यथास्थिति) उत्तीर्ण होना चाहिए। 3. कम्प्यूटर में हिन्दी/अंग्रेजी मुद्रलेखन (यथास्थिति) का ज्ञान होना चाहिए। 4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होना चाहिए। 5. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।
2.	सहायक ग्रेड-3 संवर्ग (निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक)	19500-62000 लेवल-4	1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा 2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स तथा 3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन का ज्ञान। 4. यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

1. सीधी भर्ती हेतु पात्रता:-

चयन हेतु पात्र होने के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना होगा, अर्थात्;

- (1) वह भारत का नागरिक हो;
- (2) उसने दिनांक 01/01/2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परन्तु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। (केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी)
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि वर्गों के सदस्यों हेतु उच्चतर आयु सीमा शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शिथिलनीय होगी;
- (4) विधवा, निराश्रित एवं तलाकशुदा, महिला अभ्यर्थियों हेतु भी उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी;

स्पष्टीकरण - किसी महिला को निराश्रित माना जाएगा यदि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है तथा उसका पति तथा उसके अभिभावक उसकी वित्तीय सहायता नहीं करते अथवा जिसके पास आय का कोई स्रोत है, परन्तु उसकी आय शासन द्वारा निर्धारित धनराशि से अधिक नहीं है।

- (5) सरकारी नीतियों के अनुसार परिवर्तन के अध्यधीन शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगा जो छत्तीसगढ़ शासन अथवा छत्तीसगढ़ शासन के स्वामित्व के मण्डल व निगम के स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारी हैं अथवा रह चुके हैं,
- (6) "दिव्यांग" अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

परंतु यह कि किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा सभी वर्गों से सभी शिथिलताओं को सम्मिलित करते हुये भी 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) उच्चतम आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:-

- 2 (एक) (1)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी।
- 2 (एक) (2) - यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।
- 2(एक) (3)- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी / वर्कचार्ज या कंटीनजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों / मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- 2 (एक) (4)- ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: - छटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है।

- 2 (एक) (5) - ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो योग निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 2 (एक) (6)- ऐसे महिलाओं के आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष से शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

- 2(एक) (7) - सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी

जावेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 1 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विधवा परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

- 2 (एक) (8) – स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वॉलंटरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुये दी जावेगी, किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 2 (एक) (9) – विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- 2 (दो) (1) – आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।
- 2 (दो) (2) – विक्रम पुरस्कार सहित राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडूधर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-19-2/2005/1-3 दिनांक 1-12-2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।
- 2 (दो) (3) – उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-10/2004/1-9 दिनांक 6 जुलाई 2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप –

- (1) बिंदु क्रमांक 2 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।
- (2) बिंदु क्रमांक 2 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्य / योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण – यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट और दी जावेगी, अंतरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जावेगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयु की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जावेगी।

- (3) यदि अभ्यर्थी कोई छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।
- (4) आवेदन करने की तिथी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है ।

3. सेवा में नियुक्ति हेतु निरहर्ता:-

- (1) कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है।
- (2) कोई व्यक्ति जिसकी/जिसका एक से अधिक पत्नी/पति जीवित हो वह सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
- (3) कोई अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा जब तक उसे जिला चिकित्सा बोर्ड/सक्षम चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा पद पर नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय तौर पर स्वस्थ प्रमाणित नहीं किया गया हो।

परन्तु यह कि नियुक्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर चिकित्सकीय आरोग्य प्रमाण-पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) की प्रस्तुति के अध्ययीन किसी अभ्यर्थी को अनंतिम तौर पर नियुक्ति किया जा सकता है। चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा हेतु अनुपयुक्त पाए जाने पर अभ्यर्थी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

- (4) अभ्यर्थी की ओर से उसकी अभ्यर्थिया हेतु किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को परीक्षा समिति द्वारा उसकी भर्ती हेतु निरहर्ता मानी जाएगी।

- (5) कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि:-

(क) वह किसी विधि-विरुद्ध निकाय अथवा संगठन से जुड़ा हुआ है अथवा उसका सदस्य है या रह चुका है;

अथवा

(ख) ऐसी किसी गतिविधि अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हो या उनसे जुड़ा हुआ है-

(I) जिसका उद्देश्य भारत के संविधान का विनाश हो;

(II) जिसका उद्देश्य हिंसा करते हुए विधि का संगठित उल्लेख अथवा निधि का विरोध करना हो;

(III) जो भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता के हितों तथा राज्य की सुरक्षा के विपरीत हों;

अथवा

(IV) नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति अथवा समुदाय के आधार पर वैमनस्यता अथवा घृणा को बढ़ावा देता हो;

अथवा

(ग) जिसे किसी भी शासकीय सेवा में भविष्य में नियोजन हेतु अयोग्य मानते हुए भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन अथवा उच्च न्यायालय के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है;

अथवा

(घ) जिसे संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी उच्च न्यायालय द्वारा उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा अथवा चयन में सम्मिलित होने से विवर्जित अथवा निरहित किया गया हो;

अथवा

(ङ) जो नैतिक अधमता समाहित किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जा चुका हो।

आयु संबंधी प्रमाण के लिए अभ्यर्थी के हाई स्कूल (Matric) अंक सूची (Marksheet) में अंकित जन्मतिथि (Date of Birth) ही मान्य होगी, अन्य किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जावे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, जिस पर वह आवेदित पद जिसके लिए आवेदन किया गया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत करें। आवेदक अपना आवेदन पत्र **कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार के कार्यालय में रखे बॉक्स पर निर्धारित अवधि तक डाल सकते हैं, जो कि दिनांक 14/08/2026 को समय संध्या 5.30 बजे तक प्राप्त हो गये हों। इसके लिए अलावा डाक/रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट/कुरियर/ई-मेल या (अन्य किसी भी माध्यम) से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।** आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 14/08/2026 की संध्या 5.30 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। अतः आवेदक को सलाह दी जाती है कि आवेदन निर्धारित बॉक्स में निर्धारित तिथि के पूर्व डाले।**
2. अभ्यर्थी यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है, तो प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र लिफाफे के ऊपर अभ्यर्थी को स्पष्ट रूप से (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक), आवेदित पद का नाम एवं कार्यालय का नाम अंकित कर प्रस्तुत करना होगा।
3. विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व तथा निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार के ऑफिशियल वेबसाईट balodabazar.dcourts.gov.in में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये आवेदन पत्र का प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।
5. अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ्स चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित करेगा।
6. विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं।
7. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता/अनुभव की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय अभ्यर्थी की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यवसायिक योग्यता/अनुभव घोषित नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/ समाप्त की जा सकेगी, साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर अभ्यर्थी के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
8. चयनित अभ्यर्थियों को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी।

इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी।

9. चयनित अभ्यर्थियों की बलौदाबाजार जिले के बाह्य न्यायालय में नियुक्ति की जा सकेंगी।
10. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये तत्काल उसकी सेवा समाप्त किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेंगी।
11. उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र, जीवित/वैध होना अनिवार्य है।
13. जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. कोई भी अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
15. अभ्यर्थी को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।
16. यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलंब से प्राप्त होती है, तो उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहें और ऑफिशियल वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।
17. त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, जिसकी सूचना अभ्यर्थी को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।

5. पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन व दावा/आपत्ति उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन

प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाइट balodabazar.dcourts.gov.in तथा सूचना पटल पर चस्पा कर किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई दावा/आपत्ति हो तो अभ्यर्थी सूची प्रकाशन/चस्पा किये जाने की तिथि से **सात दिवस के भीतर** चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पेश कर सकेंगे। दावा/आपत्ति के निराकरण पश्चात् वेबसाइट पर अंतिम पात्र सूची प्रकाशित की जायेगी।

6. विज्ञापित पदों हेतु चयन की प्रक्रिया

1. अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी और लिखित परीक्षा के पश्चात् कौशल परीक्षा लिया जायेगा।

प्रथम चरण:-

लिखित परीक्षा

द्वितीय चरण:-

कौशल परीक्षा

प्रथम चरण लिखित परीक्षा :-

शीघ्रलेखक ग्रेड-3 (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड-3 संवर्ग के पद हेतु

1. लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता के संबंध में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 25 प्रश्न पूछे जायेंगे, प्रत्येक प्रश्न हेतु 2 अंक निर्धारित होंगे। इस प्रकार लिखित परीक्षा कुल 50 अंकों की होगी। परीक्षा अवधि 30 मिनट की होगी।

2. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रवीण्यता (मेरिट) के आधार पर 01 (एक) पद पर 10 (दस) के अनुपात में वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा (Skill Test) हेतु बुलाया जायेगा। अंतिम समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा चाहे उसकी संख्या 01 : 10 से अधिक हो।

टीप :- यदि एक ही अभ्यर्थी द्वारा शीघ्रलेखक ग्रेड-3 हिन्दी/अंग्रेजी एवं सहायक ग्रेड-3 संवर्ग के पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, तो एक ही लिखित परीक्षा आयोजित किये जाने के कारण उक्त अभ्यर्थी के द्वारा उक्त लिखित परीक्षा में अर्जित किये गये अंक आवेदित सभी पद हेतु विचार में लिये जायेंगे।

द्वितीय चरण कौशल परीक्षा :- शीघ्रलेखक ग्रेड-3 (हिन्दी/अंग्रेजी) हेतु-

(1) कौशल परीक्षा (Skill Test) हेतु-

(i) अभ्यर्थियों को 100 (एक सौ) शब्द प्रति मिनट की गति से 5 (पांच) मिनट का करीब 500 (पांच सौ) शब्द का हिन्दी/अंग्रेजी श्रुत लेखन डिक्टेशन दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। प्रत्येक अशुद्धि के लिए 1/2 (आधा) अंक काटा जायेगा। (कौशल परीक्षा 500 अंकों की होगी।)

(ii) अभ्यर्थियों को शीघ्रलेखक ग्रेड-3 (हिन्दी/अंग्रेजी) के पद के संबंध में कम्प्यूटर में हिन्दी/अंग्रेजी की टायपिंग की गति 5,000 की-डिप्रेशन (Key-depression) प्रतिघंटा के संबंध में, कम्प्यूटर के ज्ञान के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी।

द्वितीय चरण कौशल परीक्षा :- सहायक ग्रेड-3 संवर्ग हेतु-

(i) अभ्यर्थियों को लगभग 250 (दो सौ पचास) शब्द के हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों मिश्रित गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि/अशुद्धि के लिए 1/2 (आधा) अंक काटा जायेगा। (कौशल परीक्षा 250 अंकों की होगी।)

- (ii) अभ्यर्थियों को सहायक ग्रेड-3 संवर्ग के पद के संबंध में कम्प्यूटर में हिन्दी/अंग्रेजी की टायपिंग की गति 5,000 की-डिप्रेशन (**Key-depression**) प्रतिघंटा के संबंध में, कम्प्यूटर के ज्ञान के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी।

7. महत्वपूर्ण टीप :-

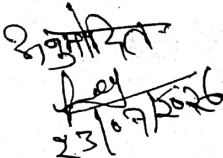
1. शीघ्रलेखक ग्रेड-3 (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड-3 संवर्ग के संबंध में कौशल परीक्षा उबन्टू लिनक्स (Ubuntu Linux) लिब्रे ऑफिस Hindi-Vedmata/Kruti dev 010 में ली जायेगी।
2. **वर्गवार मेरिट सूची :-** कौशल परीक्षा (Skill Test) में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार अंतिम चयन सूची तैयार कर कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी एवं कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी।
3. **वर्गवार प्रतीक्षा सूची :-** कौशल परीक्षा (Skill Test) में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या के 1 : 3 में वर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी, जो अधिकतम 01 वर्ष के लिए वैध/प्रभावशील होगी।
4. समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को चयनित किया जायेगा।
5. जन्मतिथि भी समान होने पर लिखित परीक्षा में अर्जित अंक के आधार पर, उसे चयनित किया जायेगा।

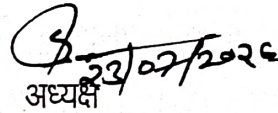
8. अन्य आवश्यक निर्देश :-

1. चयनित अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
2. आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जायेगा।
3. चयनित अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, का कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा। आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में उनके नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
4. यह विज्ञापन, किसी कारण बताये बिना, किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा।
5. जो अभ्यर्थी, चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर न केवल निरस्त की जाएगी अपितु वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
6. अभ्यर्थी जिला न्यायालय की वेबसाइट www.ecourts.gov.in/balodabazar से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिखित/कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जायेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाप्रति कॉलम में नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी

दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र आदि की मूल प्रति के साथ उपस्थित हों, अन्यथा की दशा में कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।

7. लिखित/कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को पूर्वोक्तानुसार स्वयं भरकर लिखित/कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होगा, विलंब से उपस्थित होने पर लिखित/कौशल परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
8. चयन प्रक्रिया के दौरान किसी को भी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत केवल 03 माह तक ही जानकारी प्रदान की जायेगी।
9. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त योग्यता तथा शर्तों को पूरा करता है। आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने की दशा में उसका आवेदन पत्र निरस्त कर, उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी। किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई सारवान् जानकारी छुपाना पाये जाने पर उसकी नियुक्ति पश्चात् भी सेवा समाप्त तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।


Principal District & Session Judge
Baloda Bazar (C.G.)


अध्यक्ष
चयन/भर्ती समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलौदाबाजार (छ0ग0)

श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बलौदाबाजार (छ०ग०)

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

- [illegible]

- [illegible]

- | | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2161 | 2162 | 2163 | 2164 | 2165 | 2166 | 2167 | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | 2172 | 2173 | 2174 | 2175 | 2176 | 2177 | 2178 | 2179 | 2180 | 2181 | 2182 | 2183 | 2184 | 2185 | 2186 | 2187 | 2188 | 2189 | 2190 | 2191 | 2192 | 2193 | 2194 | 2195 | 2196 | 2197 | 2198 | 2199 | 2200 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 2261 | 2262 | 2263 | 2264 | 2265 | 2266 | 2267 | 2268 | 2269 | 2270 | 2271 | 2272 | 2273 | 2274 | 2275 | 2276 | 2277 | 2278 | 2279 | 2280 | 2281 | 2282 | 2283 | 2284 | 2285 | 2286 | 2287 | 2288 | 2289 | 2290 | 2291 | 2292 | 2293 | 2294 | 2295 | 2296 | 2297 | 2298 | 2299 | 2300 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | 2316 | 2317 | 2318 | 2319 | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | 2325 | 2326 | 2327 | 2328 | 2329 | 2330 | 2331 | 2332 | 2333 | 2334 | 2335 | 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | 2341 | 2342 | 2343 | 2344 | 2345 | 2346 | 2347 | 2348 | 2349 | 2350 | 2351 | 2352 | 2353 | 2354 | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 | 2359 | 2360 | 2361 | 2362 | 2363 | 2364 | 2365 | 2366 | 2367 | 2368 | 2369 | 2370 | 2371 | 2372 | 2373 | 2374 | 2375 | 2376 | 2377 | 2378 | 2379 | 2380 | 2381 | 2382 | 2383 | 2384 | 2385 | 2386 | 2387 | 2388 | 2389 | 2390 | 2391 | 2392 | 2393 | 2394 | 2395 | 2396 | 2397 | 2398 | 2399 | 2400 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | 2413 | 2414 | 2415 | 2416 | 2417 | 2418 | 2419 | 2420 | 2421 | 2422 | 2423 | 2424 | 2425 | 2426 | 2427 | 2428 | 2429 | 2430 | 2431 | 2432 | 2 |
|--|------|---|
|--|------|---|

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

7. (अ) जन्म तिथि अंकों में

--	--	--	--

(ब) जन्म तिथि शब्दों में

[illegible]

(स) दिनांक 01.01.2026 को आयु

वर्ष माह दिन

--	--	--

8. अभ्यर्थी आयु में छूट का कोई दावा करता है :- हां/नहीं

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दस्तावेज/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)

9. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 राज्य का मूल निवासी है? हां/नहीं :-

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)

10. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा छ0ग0 के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं :-

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें

12. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है? हां/नहीं
(यदि हां, तो दिव्यांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड
का स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

13. क्या अन्वर्थी भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी
प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

14. क्या आप विवाहित हैं ? हां/नहीं

15. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता:-

क्र०	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड वि०वि० का नाम	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

16. अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

क्र०	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	पदस्थ अवधि

17. क्या अभ्यर्थी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

18. क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है या नहीं?
यदि हुआ है तो वर्तमान स्थिति

19. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-
(दस्तावेज स्वप्रमाणित होना चाहिए)

- | | |
|---------|----------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं एवं आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। उपरोक्त दी गई कोई भी जानकारी अथवा सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर आवेदित पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक

स्थान

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

नाम

पता

.....

.....